छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

फैक्स : 0771–4001074
दूरभाष : 0771–4283557, 4043477
सी.आई.एन. : U 14103 CT 2001 SGC 014691,
ई–मेल : cmdcraipur_ho@rediffmail.com,
वेबसाइट : www.cmdc.co.in

मुख्य कार्यालय :
सोनाखान भवन, रिंग रोड–1,
ग्राम–पुरैना, पो.ऑ.–रविग्राम,
रायपुर (छ.ग.)–492006

विज्ञप्ति कमांक –01/स्थापना/सीएमडीसी/2014 रायपुर, दिनांक : 04.12.2014

(रिक्त पदों की पूर्ति बाबत्)

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 में सीधी भरती के निम्न रिक्त पदों के लिये दिनांक 03.01.2015 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । पदों का नाम, वेतनमान, रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	पदनाम, वेतनमान (रूपये में) एवं ग्रेडवेतन (रूपये में)	रिक्त पद की संख्या					आयु		शैक्षणिक योग्यता/अनुभव
		अनारक्षित	अनु0 जन जाति	अनु सूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	उप महाप्रबंधक (खान) 15600–39100 ग्रेडवेतन–7600	1	–	–	–	1	35	45	(1)शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में कम से कम 60 प्रतिशत औसत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी खान प्रबंधन सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो। (3)मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड मेटल माईंस में न्यूनतम 15 वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिये। (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।
2	सहा. महाप्रबंधक (खान) 15600–39100 ग्रेडवेतन–6600	1	1	–	–	2	30	40	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में कम से कम 60 प्रतिशत औसत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी खान प्रबंधन सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो। (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड मेटल माईंस में न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये। (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।

	सहा. महाप्रबंधक (वित्त / प्रशासन) 15600–39100 ग्रेडवेतन–6600	1	–	–	–	1	21	35	1) सी.ए. (2) किसी निजी अथवा शासकीय संस्थान / शासकीय उपक्रम में लेखा / ऑडिट कार्यो का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें अधिक अनुभव तथा समान प्रकार के कार्यक्षेत्र (खनन कम्पनियों) में कार्य करने का अनुभव होगा।
4	कम्पनी सचिव 15600–39100 ग्रेडवेतन–6600	1	–	–	–	1	21	35	(1) ग्रेज्युएट एंड मेम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया । (2) संबंधित क्षेत्र में किसी निजी / शासकीय संस्थान / शासकीय उपक्रम में कम से कम 03 वर्ष का कार्य करने का अनुभव । (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें अधिक अनुभव तथा समान प्रकार के कार्यक्षेत्र (खनन कम्पनियों) में कार्य करने का अनुभव होगा।
5	प्रबंधक (खान) 15600–39100 ग्रेडवेतन–5400	2 (1 मुक्त, 1 महिला)	1	–	1	4	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया हो। (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधन सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो। (3)मेकेनाइज्ड / सेमी मेकेनाइज्ड मेटल माईंस में न्यूनतम 05 वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए। (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड / सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।
6	जुनियर फोरमेन 9300–34800 ग्रेडवेतन–4300	1	1	–	–	2	21	30	शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया हो।
7	माईनिंग मेट 5200–20200 ग्रेडवेतन–2400	1	1	–	1	3	21	30	(1) माईनिंग / माइनिंग एवं माईन सर्वेइंग में डिप्लोमा (2) अधिक उम्मीदवार होने पर मेकेनाईज्ड / सेमी मेकेनाईज्ड खान में कार्य के अनुभवी उम्मदवारों को वरीयता होगी।

नियम एवं शर्ते :

(1) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591 / 2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592 / 2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593 / 2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594 / 2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

निर्धारित आयु सीमा :-

(क) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को कॉलम 08 एवं कॉलम 09 के अनुसार होगी। तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेंगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली उच्चतर आयु सीमा की छूट दी जावेगी।

(ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ङ.) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तो के अधीन छूट दी जायेगी, अर्थात :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी,, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(तीन) जो अभ्यर्थी छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(i) स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हों ।

(ii) स्पष्टीकरण – सीधी भर्ती के कुछ पदों में अधिकतम आयु सीमा 40 एवं 45 वर्ष तक दी गई है जो उन पदों हेतु वांछित अनुभव एवं अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, परन्तु आयुसीमा संबंधित सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा कीकालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो सेवा आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :-

(i) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के आधीन मुक्त कर दिया गया हो ।

(ii) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवान्मुक्त कर दिया गया हो ।

(iii) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक,

(iv) संविदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है ।

(v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवान्मुक्त किये गये हो ।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे ।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रूप से अलग किया गया हो ।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी । किन्तु ऐसी छूट 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

(ट) सीधी भर्ती के कुछ पदों में आयु सीमा 45 वर्ष दी गई है जो कि

(2) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (क्र.–6 एवं 7) के पदों के लिये छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(3) उम्मीदवार को स्वयं का पता लिखे दो खाली लिफाफा (10''X4'') अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

(4) ऐसे उम्मीदवार जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उम्मीदवार को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित (सत्यापित) छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(5) उम्मीदवारों को अपनी आयु के सत्यापन हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंक सूची की सत्यापित छाया प्रतियां, आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है ।

(6) विज्ञापित पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुसार आवश्यक दस्तावेज यथा डिग्री, प्रमाण पत्र, कार्यानुभव इत्यादि दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी। अपूर्ण दस्तावेज होने से ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

(7) अन्य शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदक चाहे तो अपने नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन की अग्रिम प्रति सीधे प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु साक्षात्कार के पूर्व उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) विज्ञापित पदों में नियमानुसार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित है ।

(9) चयन हेतु अभ्यार्थी की पात्रता / अपात्रता के सम्बंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सी.एम.डी.सी. को होगा।

(10) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(11) चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटिनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछिड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य के जाति प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छान–बीन समिति से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।

(12) उक्त विज्ञापित पद अधिसूचित क्षेत्रों के लिये भी है, अतः नियुक्ति इन क्षेत्रों में भी की जावेगी।

(13) पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

(14) महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उक्त पद पुरूष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

(15) विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का निर्णय नियोक्ता का होगा ।

(16) उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार या लिखित (कौशल परीक्षा) अथवा दोनों के माध्यम से किया जावेगा। चयन प्रक्रिया का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

(17) आयु सीमा में छूट, अन्य शर्ते तथा आवेदन के प्रारूप का अवलोकन / डाउनलोड सी.एम.डी.सी. की वेबसाईट www.cmdc.co.in से की जा सकती है।

(18) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतानें है, उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(19) आवेदन पत्र पर न्यूनतम पासपोर्ट साईज का फोटो स्वयं प्रमाणित कर लगाना अनिवार्य होगा।

(20) वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूचियों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियों सहित उम्मीदवार का आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2015 शायं 5.00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट से **प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड नं0–1, ग्राम पुरेना, पोस्ट रविग्राम, रायपुर, (छ0ग0) 492006** के कार्यालय में स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(21) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के सबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।

(22) विज्ञापित पदों के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस नियम एवं शर्तो के साथ संलग्न है।

(23) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, अतएव नियुक्ति की शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(24) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

प्रबंध संचालक

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्य कार्यालय–रायपुर.

आवेदित पद का नाम :– ....

1 आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में) ....

2 पिता/पति का नाम : ....

3 जन्मतिथि अंकसूची अनुसार (अंकों में) : वर्ष .... माह .... दिन ....

(शब्दों में) ....

4 आयु (दिनांक 01.01.2015 की स्थिति में) : वर्ष .... माह .... दिन ....

5 (अ) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता : ....
....
....
....

(ब) स्थाई पता : ....
....
....
....

(स) दूरभाष/मोबाईल नम्बर : ....

(द) ई–मेल : ....
....

6 जाति का विवरण : जहां लागू हो कृपया (√) चिन्ह लगायें।

अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
☐	☐	☐	☐

7 शैक्षणिक योग्यता :–

क.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	श्रेणी

8 कार्यानुभव का विवरण :–

क.	पद	संस्थान	अवधि	अनुभव का विवरण
1				
2				
3				
4				

9 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं? (हां/नहीं) (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें । : ....

10 संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची (स्व–प्रमाणित)

1 ....

2 ....

3 ....

4 ....

5 ....

6 ....

7 ....

8 ....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तो को ध्यान से पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्ठियां सत्य, पूरी और सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पाई जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और परीक्षा में उत्तीर्ण एवं चयन के उपरान्त भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा। मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking Company)

Telephone :- 4283557, 4043477
Fax :- (0771) 4001074
E-mail :- cmdcraipur_ho@rediffmail.com, cmdcraipur@gmail.com
CIN : - U 14103 CT 2001 SGC 014691, Web : www.cmdc.co.in

Head Office :
Sonakhan Bhawan, Ring Road No-1, Vill. Purena
PO. Ravigram, Raipur (C.G.) 492006

RECRUITMENT - NOTIFICATION

Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd, a PSU of the Government of Chhattisgarh is engaged in the development of major minerals such as Coal, Iron Ore, Bauxite, Tin, Corrundum in Chhattisgarh invites application from the eligible candidates for filling up the following posts **on direct recruitment basis** :

SNo.	Name of the Post	Number of Posts	Pay Scale/Band
1	DGM (Mines)	01	15600-39100 , Grade pay 7600
2	AGM (Mines)	02	15600-39100 , Grade pay 6600
3	AGM (Finance/Administration)	01	15600-39100 , Grade pay 6600
4	Company Secretary	01	15600-39100, Grade pay 6600
5	Manager (Mines)	04	15600-39100, Grade pay 5400
6	Junior Forman (Mining)	02	9300-34800, Grade pay 4300
7	Mining Mate	03	5200-20200, Grade pay 2400

For details about educational qualification, experience, age limit, format for application, reservation of posts, and other terms and conditions please visit to our website www.cmdc.co.in

Interested Candidates who fullfill the minimum eligibility criteria may apply to "The Managing Director " Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd., Sonakhan Bhawan, Ring Road No.-1, Gram Puraina, Raipur Chhattisgarh. The last date for submission of application is 03.01.2015.

Managing Director

ADVERTISEMENT PUBLISHED IN ENGLISH PAPER